[redacted]

151

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर केम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांक /2014 R - 2348-I/14

प्रार्थी अभिभाषक श्री...अखिलेश...
द्वारा प्रस्तुत 03/7/2014
दिनांक.................. 3-7-14
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

1-- मानसिंह पिता श्री भंवरसिंह, आयु–70 वर्ष

2-- दुलेसिंह पिता श्री भंवरसिंह, आयु–60 वर्ष

3-- भगतसिंह पिता श्री चन्दरसिंह, आयु–55 वर्ष

4-- कालुसिंह पिता श्री चन्दरसिंह, आयु–53 वर्ष

5-- मेंहरबानसिंह पिता श्री चन्दरसिंह, आयु–50 वर्ष

धंधा–कृषक, निवासीगण–ग्राम लड़ावद, तहसील व जिला शाजापुर म.प्र. ———आवेदक / निगरानीकर्ता

434
03/7/2014

विरूद्ध

1-- सज्जनसिंह पिता श्री मांगीलाल

2-- सौभागसिंह पिता श्री मांगीलाल

निवासीगण–ग्राम लड़ावद, तहसील व जिला शाजापुर

————अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका म.प्र. भू–राजस्व संहिता धारा 50

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाजापुर जिला शाजापुर द्वारा क्रं. सी./रा.नि./1/2014 आदेश दिनांक 17/04/2013 सीमांकन दिनांक 11/02/2014 के विरूद्ध निर्धारित समयावधि में निगरानी प्रस्तुत है ।

21-7-14

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्न आशय की अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि, अनावेदकगण द्वारा प.ह.न. 44 स्थित सर्वे नं. **594 रकबा 0.15 हे. तथा** सर्वे नं. 594 रकबा 0.29 हे., स्थित ग्राम लेड़ावद तहसील व **जिला उज्जैन की भूमि की**

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

34

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2348-एक/14 **जिला** - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल बराड़े उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	